जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर

(जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर महानगर)

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 12–11–2025

लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित रालसा का विशेष शिकायत निवारण अभियान

जोधपुर. आम लोगों को सूचित किया जाता है कि माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा लोक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित शिकायतों के निस्तारण हेतु राज्यव्यापी विशेष अभियान **"न्याय आपके द्वार लोक उपयोगिता समस्याओं का सुलभ एवं त्वरित** समाधान" प्रारम्भ किया गया है। उक्त अभियान दिनांक 10 नवम्बर 2025 से 10 फरवरी 2025 तक 03 चरणों में संचालित किया जायेगा।

अभियान में निम्नलिखित सेवाओं की शिकायतों का समाधान किया जायेगा – 1 वायु, सड़क या जल द्वारा यात्रियों या माल के परिवहन के लिए परिवहन सेवाएं। 2 डाक, टेलीफोन या टेलीफोन सेवा। 3 किसी भी स्थापना द्वारा जनता को शक्ति, रोशनी या पानी की आपूर्ति। 4 लोक स्वच्छता या स्वास्थ्य रक्षा की प्रणालियां। 5 अस्पताल या डिस्पेंसरी में सेवा। 6 बीमा सेवा। 7 बैंककारी और वित्तीय संस्था सेवाए। 8 आवासीय सेवाएं। 9 लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस सेवा। 10 शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थाएं। 11 आवास और भू संपदा सेवाएं।

आवेदन की प्रक्रिया – 1 लोक उपयोगित सेवाओं से संबंधित शिकायतों हेतु आवेदक द्वारा शिकायत आवेदन पत्र (प्रारूप) के माध्यम/हस्तलिखित से प्रस्तुत की जायेगी।

2 या माननीय रालसा द्वारा निर्धारित मोबाईल नम्बर **9119365734** पर जरिये वाट्सएप आवेदनकर्ता अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकेगा।

3 शिकायत प्राप्त होने पर इस प्राधिकरण आवेदनकर्ता से संपर्क कर शिकातय के संबंध में **नियमानुसार** कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

शिकायत प्रस्तुत करने का प्रारूप–

सेवामें,
श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय,
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।

विषय– विधिक सहायता/काउंसलिग चाहने बाबत्।

महोदय,

उपर्युक्त विषयानुसार निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थिया–

नाम : पिता/पति का नाम :

आयु :वर्ष, लिंग : मोबाइल नं. :

पता :वार्ड नं. : थाना :जिला –..... का निवासी है।

प्रार्थी/प्रार्थिया को निम्नलिखित समस्या/विवाद/जन उपयोगी सेवाओं की आवश्यकता है–

.....

.....

.....

.....

.....

(समस्या का संक्षिप्त विवरण दें)

क्या प्रार्थी/प्रार्थिया ने पूर्व में भी इस संबंध में किसी संस्था/थाने/न्यायालय अथवा अन्य प्राधिकरण में शिकायत या आवेदन किया है।

☐ हॉं ☐ नहीं

प्रार्थी/प्रार्थिया को उपरोक्त विषयक न्यायसंगत विधिक सहायता/परामर्श प्रदान करने की कृपा की जाए।

दिनांक

हस्ताक्षर

संलग्न दस्तावेज :

1. पहचान पत्र की स्वप्रमाणित प्रति (जैसे आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राईविंग लाइसेंस/राशन कार्ड आदि।
2. अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रति, उपलब्ध फोटो या वीडियोग्राफी (यदि प्रार्थी/प्रार्थिया प्रस्तुत करना चाहते हों)।

नोट– जनोपयोगी सेवाओं में उपरोक्त वर्णित सेवाएं शामिल होंगी।

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश),
जोधपुर महानगर, जोधपुर

सेवा में,
श्रीमान सदस्य सचिव महोदय,
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय: विधिक सहायता / काउंसलिंग चाहने बाबत।

महोदय,
उपयुक्त विषयानुसार निवेदन है कि प्रार्थी / प्रार्थिया –

नाम :
पिता / पति का नाम :
आयु : वर्ष लिंग : मोबाइल नं. :
पता :
वार्ड नं. : थाना : जिला :

निवासी है।

प्रार्थी / प्रार्थिया को निम्नलिखित समस्या / विवाद / जन उपयोगी सेवा की आवश्यकता है –
.....
.....

.....
.....

.....
.....
(समस्या का संक्षिप्त विवरण दें।)

क्या प्रार्थी / प्रार्थिया ने पूर्व में भी इस संबंध में किसी संस्था / थाने / न्यायालय अथवा अन्य प्राधिकरण में शिकायत या आवेदन किया है?
☐ हाँ ☐ नहीं

प्रार्थी / प्रार्थिया को उपरोक्त विषयक न्यायसंगत विधिक सहायता / परामर्श प्रदान करने की कृपा की जाए।

हस्ताक्षर : **दिनांक :**

संलग्न दस्तावेज़:

1. पहचान पत्र की स्वप्रमाणित प्रति (जैसे – आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस / राशन कार्ड आदि)।
2. अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रति, उपलब्ध फोटो या वीडियोग्राफी। (यदि प्रार्थी/प्रार्थिया प्रस्तुत करना चाहते हों)।

(जनोपयोगी सेवाओं में सम्मिलित हैं :- सड़क/रेल द्वारा यात्रियों या माल के परिवहन के लिए परिवहन सेवा; डाक या टेलीफोन सेवा; बिजली या पानी की आपूर्ति; लोक स्वच्छता या स्वास्थ्य रक्षा की प्रणाली संबंधी; अस्पताल या डिसपेंसरी में स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं; बीमा सेवा, बैंक तथा वित्तीय संस्था सेवाएं, एलपीजी सेवा, शैक्षिक अथवा शैक्षणिक संस्थानों तथा आवासीय एवं भू-सम्पदा सेवाएं)